रजि० नं० एल. डब्ल्/एन. पी. 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्० पी०—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 1989

आश्विन 14, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या—1936/सत्रह-वि०-1—1 (क) 40-1989

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1989]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) धारा 2 उन्तीस अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 तीन जुलाई 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 4 सोलह सितम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में,

(क) शब्द और अंक "30 अप्रैल, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "28 फरवरी, 1990" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द "प्रत्येक जिला परिषद्" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, एटा और मैनपुरी" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय–तीन

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 12 का संशोधन

3––संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:––

"(7-क) (क) जहां 3 जुलाई, 1989 को विद्यमान किसी गांव पंचायत में महिला सदस्याओं की संख्या, चाहे निर्वाचित या सहयोजित हो, गांव पंचायत के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से कम हो, वहां गांव सभा के सदस्यगण अनुपूरक निर्वाचन में, जो ऐसे दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र होगा, अपनी महिला सदस्यों में से उतनी महिला सदस्याओं को निर्वाचित करेंगे जितनी गांव पंचायत के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से कम हो, और तदुपरान्त गांव पंचायत के संघटन में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अनुपूरक निर्वाचन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए उतने स्थान आरक्षित रखे जायेंगे जितने अनुपूरक निर्वाचन में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथासम्भव वही अनुपात होगा जो गांव सभा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या से हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी गांव पंचायत में अनुसूचित जाति की कोई महिला सदस्य, चाहे निर्वाचित या सहयोजित हो, नहीं है, वहां पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आरक्षण ऐसे किया जायगा जिससे कि कम से कम एक स्थान अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित हो ।

(ख) गांव पंचायत के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत के बराबर महिला सदस्याओं की गणना करने के प्रयोजनार्थ, आधे या उससे कम की किसी भिन्न को छोड़ दिया जायगा और आधे से अधिक की भिन्न को एक गिना जायगा ।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन तैयार की गयी सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली जैसी वह अनुपूरक निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक को प्रवृत्त हो, जहां तक उसका सम्बन्ध किसी गांव सभा के क्षेत्र से है, उस गांव सभा के लिए निर्वाचक नामावली समझी जायगी और धारा 9-क, 12–क, 12-ख ख, 12–ख ग, 12–ख घ, 12–ग और 12–ङ के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक निर्वाचन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार गांव पंचायत के सदस्यों के साधारण निर्वाचन पर लागू होते हैं ।

(घ) यदि इस उपधारा के अधीन कोई अनुपूरक निर्वाचन करने में इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किसी उपबन्ध के निर्वचन में या किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों में न की गयी हो, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जिसे वह उचित समझे, दे सकती है ।"

अध्याय–चार

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51 सन् 1976 की धारा 22, 23 और 24 का प्रतिस्थापन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का संशोधन

4––उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 22, 23 और 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्––

चक सभाओं का विघटन और परिणाम

"22––(1) दिनांक 16 सितम्बर, 1989 से उक्त दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान क्रमशः धारा 22 और 23 के अधीन गठित सभी चक सभायें और चक समितियां विघटित हो जायेंगी और तदुपरान्त––

(क) कुलावा के सिक्त क्षेत्र के भूमि विकास के लिये ऐसे निर्मित समस्त निर्माण-कार्य और अन्य स्थावर सम्पत्तियां जो चक सभा की हों, उस गांव सभा को न्यागत और उसमें निहित हो जायेंगी जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर ऐसा निर्माण-कार्य और अन्य स्थावर संपत्तियां स्थित हों,

(ख) किसी चक सभा की समस्त जंगम संपत्ति और आस्तियां, और समस्त अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें, चाहे वे संविदात्मक या अन्य प्रकार की हों, ऐसी गांव सभा को न्यागत होंगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यागमन के सम्बन्ध में, कोई सन्देह या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा में और धारा 23 और 24 में, "गांव सभा" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित गांव सभा से है ।

जल प्रबन्ध समिति

23––किसी गांव सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले कुलावा के सिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के लिये निर्मित ऐसे निर्माण-कार्यों और अन्य संपत्तियों के, जो धारा 22 के अधीन किसी गांव सभा को न्यागत हों, प्रबन्ध और कुलावा प्रणाली के अनुरक्षण, ओसरावन्दी किये जाने और भूमि विकास के वास्तविक निर्माण-कार्य के कार्यान्वयन और फसलों के आवर्तन के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों में नियत रीति से एक जल प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा ।

जल प्रबन्ध समिति की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य

"24––(1) धारा 23 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जल प्रबन्ध समिति की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों में नियत किये जाएं ।

(2) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और धारा 23 में निर्दिष्ट शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को उक्त अधिनियम के अधीन गांव पंचायत की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य समझा जायगा ।"

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

5––(1) निम्नलिखित अध्यादेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :––

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1989

(एक) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1989

(दो) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1989

(तीन) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1989;

(चार) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989; उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1989

(पांच) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1989। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सम्बन्धित अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

No. 1936 (2)/XVII-V-1—(KA)-40-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gramya Swayatta Shasan Vidhi Sanshodhan Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of (1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 6, 1989.

THE UTTAR PRADESH RURAL LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS AMENDMENT ACT, 1989

[U. P. Act no. 27 of 1989]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Chapter-I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Local Self-Government Laws Amendment Act, 1989.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on April 29, 1989, section 3 shall be deemed to have come into force on July 3, 1989, section 4 shall be deemed to have come into force on September 16, 989 and the remaining sections shall come into force atonce.

Chapter-II

Amendment of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1),—

(a) *for* the words and figures "30th day of April, 1989" the words and figures "28th day of February, 1990" shall be *substituted*; and

(b) *for* the words "each of the Zila Parishads" the words "the Zila Parishads of Azamgarh, Ballia, Basti, Mirzapur, Saharanpur, Muzaffarnagar, Bijnor, Agra, Etah and Mainpuri" shall be *substituted*.

CHAPTER-III

Amendment of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947

Amendment of section 12 of U. P. Act no. 26 of 1947

3. In section 12 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, *after* sub-section (7), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(7-A) (*a*) Where in a Gaon Panchayat existing on July 3, 1989, the number of woman members, whether elected or co-opted, is less than thirty per cent of the total number of members prescribed for the Gaon Panchayat, the members of the Gaon Sabha shall, in a supplementary election, to be held as soon as may be after such date elect from amongst its women members, such number of woman members as falls short of thirty per cent of the total number of members prescribed for the Gaon Panchayat, and thereupon the constitution of the Gaon Panchayat shall stand altered to that extent :

Provided that in such supplementary election seats shall be reserved for the Scheduled Castes women in such number as shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled in supplementary election as the population of the Scheduled Castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area :

Provided further that where in any Gaon Panchayat there is no Scheduled Caste woman member, whether elected or co-opted, the reservation under the preceding proviso shall be made so however that atleast one seat is reserved for a Scheduled Caste woman.

(*b*) For the purpose of calculating the number of women members at thirty per cent of the total number of members prescribed for the Gaon Panchayat, any fraction being one-half or less shall be ignored and any fraction exceeding one-half shall be counted as one.

(*c*) The electoral roll for the Assembly constituency prepared under the Representation of the Peoples Act, 1950 as in force on the last date for making nominations for the supplementary election, so far as it relates to the area of a Gaon Sabha shall be deemed to be the electoral roll for that Gaon Sabha and the provisions of sections 9-A, 12-A, 12-BB, 12-BC, 12-BD, 12-C, and 12-I shall *mutatis mutandis* apply to such supplementary election as they apply to general election of the members of Gaon Panchayat.

(*d*) If in holding a supplementary election under this sub-section any difficulty arises regarding the interpretation of any provision of this Act or any rule made thereunder or any matter not provided in this Act or rules made thereunder, the State Government may for removal of the difficulty pass such order not inconsistent with the provisions of this Act, as it thinks fit."

CHAPTER-IV

Amendment of the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976

Substitution of sections 22, 23 and 24 of U. P. Act no. 51 of 1976

4. For sections 22, 23 and 24 of the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Dissolution of Chak Sabhas and consequences

"22. (1) With effect from September 16, 1989 all Chak Sabhas and Chak Samitis constituted respectively under sections 22 and 23 as those sections stood immediately before the said date shall stand dissolved and thereupon :—

(*a*) all works constructed for land development of outlet command and other immovable property belonging to the Chak Sabha shall devolve upon and vest in the Gaon Sabha within the territorial limits whereof such works and other immovable property are situated;

(*b*) all movable property and assets, and all rights, liabilities and obligations of a Chak Sabha whether contractual or otherwise shall devolve upon such Gaon Sabha as the State Government may by notification, specify.

(2) Any doubt or dispute in respect of the devolution referred to in sub-section (1) shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

Explanation– In this section and sections 23 and 24 "Gaon Sabha" means a Goan Sabha established under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947.

Jal Prabandh Samiti

23. For the management of works constructed for land development and other properties devolving on a Gaon Sabha under section 22 and the maintenance of the outlet system, carrying out *osarabandi* and implementation of physical works of land development and cropping pattern in the outlet command falling within the territorial jurisdiction of a Gaon Sabha, there shall be constituted a Jal Prabandh Samiti in the manner prescribed in rules made under section 110 of the U. P Panchayat Raj Act, 1947.

Powers, functions and duties of Jal Prabandh Samiti

24. (1) Without prejudice to the provision of section 23, the powers, functions and duties of Jal Prabandh Samiti shall be such as may be prescribed in rules made under section 110 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947.

(2) Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 the powers, functions and duties referred to in sub-section (1) and in section 23 shall be deemed to be the powers, functions and duties of the Gaon Panchayat under the said Act.".

CHAPTER-V

Miscellaneous

Repeal and Saving

5. (1) The following Ordinances are here by repealed–

(i) The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1989. — U. P. Ordinance no. 6 of 1989

(ii) The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 1989. — U.P. Ordinance no. 19 of 1989

(iii) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1989. — U. P. Ordinance no. 13 of 1989

(iv) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Second Amendment) Ordinance, 1989. — U. P. Ordinance no. 17 of 1989

(v) The Uttar Pradesh Area Development (Amendment) Ordinance, 1989. — U.P. Ordinance no. 18 of 1989

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts mentioned in Chapters II, III and IV, as amended by, the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the respective Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 156 सा० (विधा०)–(2369)–1989–850 (मेक०)।